राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3064 / SEIAA/2022
Date: 10/2/22

प्रति,

श्री विजेन्द्र सिंह
आत्मज श्री करण सिंह,
ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा,
जिला सीहोर (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 8849/2021: परियोजना प्रस्तावक श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 703 वी बैठक दिनांक 30.1.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 27.09.2018 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 03 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में सूचित किया जाता है कि लीज हस्तांतरण दिनांक 27.09.2018 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 03 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण तथा इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे कि प्रकरण की वस्तुस्थिति SEIAA समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3065 /SEIAA/2022 दिनांक – 10/2/22

प्रतिलिपिः–

1. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला – सीहोर (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी